	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 7, मंगलवार, *शाके* 1943–अप्रेल 27, 2021 *Vaisakha 7, Tuesday, Saka 1943- April 27, 2021*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 27, 2021

संख्या एफ 1(38)परि/स्था./92/पार्ट-I/8640 :–मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम, 59) की धारा 68 की उप–धारा (1) एवं (2) अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(36) परि/स्था/92/5315–31 दिनांक 29.03.2019 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार श्री भंवर लाल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (रिट एवं रेलवे समन्वय) को एतद् द्वारा जयपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, दौसा, सीकर, चित्तौडगढ़, पाली एवं भरतपुर क्षेत्रों के लिए सभी प्रकार के परिवहन यानों (मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप–धारा (9) के अंतर्गत टयूरिस्ट परमिट को छोडकर) के परमिट हेतु सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र सोनी,
परिवहन आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।